प्राक्कथन

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत, राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में राजस्थान सरकार के सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टांत वे हैं जो वर्ष 2013-14 की लेखापरीक्षा जाँच के दौरान ध्यान में आये, साथ ही ऐसे प्रकरण जो पिछले वर्षों में ध्यान में आये किन्तु उन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका अथवा वर्ष 2013-14 की अवधि के आगे से सम्बन्धित मामले, जहाँ कहीं आवश्यक थे, भी सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।